08. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–1203 दिनांक–14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र व्यय नहीं किया जायेगा।

09. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 (वि०) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

10. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 वि० (2) दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमो व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

12. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

13. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत है।

14. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025................................/ पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025................................/ पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025................................/ पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/जिला पदाधिकारी बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025................................/ पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः– व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025................................/ पटना, दिनांकः– ....

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025 223 / पटना, दिनांकः– 15/07/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–अ०सं०क०–10–(WVY)–32/2025....................

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इबरार अहमद खाँ भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांकः–......................

विषय :– **बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत मामू–भांजा मजार वक्फ इस्टेट सं०–2279, बडी बलिया जिला–बेगुसराय की भूमि पर G+3 मुसाफिरखाना एवं लाइब्रेरी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि ₹485.33 लाख (चार करोड़ पचासी लाख तैतीस हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली अशिक्षा को दूर करना, शैक्षणिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये कार्य करना, सामाजिक उत्थान और समाज में सह–अस्तित्व मानवता एवं नैतिकता की भावना जागृत करना है। प्राकृतिक आपदा आने पर जरूरमंदों की सहायता करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। इसकी आय से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्य आयोजित किये जाते है। जैसे विवाह का आयोजन, जलसा का आयोजन, रमजान के महीने में तरावीह का इंजाम एवं मीलादशरीफ आदि का आयोजन कराया जाता है।

02. बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत मामू–भांजा मजार वक्फ इस्टेट सं०–2279, बडी बलिया जिला–बेगुसराय की भूमि पर G+3 मुसाफिरखाना एवं लाइब्रेरी के निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 के आधार पर प्राक्कलित राशि ₹980.83 लाख (नौ करोड़ अस्सी लाख तेरासी हजार) रूपये मात्र की विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 365 दिनांक– 10.09.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि ₹300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

03. उक्त G+3 मुसाफिरखाना एवं लाइब्रेरी के निर्माण कार्य हेतु राशि ₹980.83 लाख रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय किस्त के रुप में राशि ₹485.33 लाख (चार करोड़ पचासी लाख तैतीस हजार रुपये) मात्र वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु रिवॉलविंग फंड की राशि की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

04. यह राशि बजट मांग सं०–30 अंतर्गत मुख्यशीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएँ–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–0108–वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवॉलविंग फण्ड, विषय शीर्ष–31–05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–30–2250008000108 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

05. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उक्त राशि सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से विपत्र BTC-46 के माध्यम से निकासी कर "WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/o - BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA के पी०एल० खाता सं०–PTSPLA029, Ledger का नाम Waqf Vikas Yojana1, Ledger Id सं०–20958 में CFMS के माध्यम से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को अंतरित करेंगे। अंतरण के पश्चात् CFMS की अंतरण प्रति वक्फ प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

06. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

07. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्य अथवा अन्य योजना के लिए नही किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०